



418

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

R ..... 11/17

R 1340- II-17

मुन्नालाल उर्फ रामप्रकाश शर्मा पुत्र  
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम लहचूरा  
तह0 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....आवेदक

*कमला देवी साधो*  
द्वारा आज दि. 8-5-17 को  
प्रस्तुत  
*व. व. 8-5-17*  
कलकत्ता नॉक ऑफिस  
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

बनाम

- 1-उत्तमनारायण
  - 2-रामगोविन्द
  - 3-दामोदरप्रसाद
  - 4-विष्णुप्रसाद
- पुत्रगण देवीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लहचूरा तह0 गोहद जिला भिण्ड

.....असल/अनावेदक

5-कमला देवी पत्नी देवीरात्र साधो फौत वारिसान-

अ-जयसिंह राव जाधव

ब-धनजय राव जाधव

6-रामसिंह राव पुत्र देवाराव साधो

7-कृष्णराव पुत्र देवाराव साधो

8-स्वभागिनी राजे पुत्री देवाराव साधो पत्नी महाराजा रामसिंह गायकबाड

9-मंजुला राजे पुत्री देवाराव साधो पत्नी आदित्यराव पाटनकर निवासी जनकताल लशकर तह0 व जिला ग्वालियर म0प्र0

.....तरतीवी/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 10/07/2014

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

गोहद के प्र0क0 03/12-13 अपील/निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959


*1*  
*शुभम*

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1340-दो/17

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	